प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2018***

विषय:- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ईश्वर पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी जनपद-शामली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44251/द0या0प्रो0-5/1217 दिनांक 13.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ईश्वर पुत्र श्री अतर सिंह, जो बुटराडा, थाना-बाबरी, जनपद-शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 14.10.2003 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक, तमन्चे से गोलियों से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 323/149, 148, 449 एवं 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-3), मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 31.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.06.2017 तक 03 वर्ष 01 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ईश्वर (बन्दी संख्या-5413/15) पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी जनपद-शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-292/2018/4034(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in